



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ./2010/ 1591 जयपुर, दिनांक 9-10-2020

**आदेश**

निम्नलिखित विकास अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु निकट होने के कारण विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी	पदस्थापित स्थान	पैतृक विभाग	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री टीकमाराम चौधरी	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर	शिक्षा	31.1.2021
2.	श्री दिनेश चन्द्र कटारा	कटूमर (अलवर)	शिक्षा	31.3.2021

उक्त अधिकारी विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्रों के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग (मुख्यालय) पर प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त जयपुर।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
9. जिला कलेक्टर अलवर।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति कटूमर जिला अलवर।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)